न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2016/00240 (305/2016) 223 आरटीएक्ट

देवीलाल उर्फ औमप्रकाश पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज0) –अपीलाण्ट

–: बनाम :–

1. सुरेश पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. नारायणी पुत्री निकूराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
3. सरबीत पत्नी स्व0 निकूराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
4. महेन्द्र पुत्र माडूराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
5. करनैल पुत्र दौलाराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
6. रामेश्वर पुत्र दौलाराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
7. कृष्ण पुत्र दौलाराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
8. रणजीत पुत्र हिराराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
9. यासीन पुत्र इल्मदीन जाति कुम्हार साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा।
10. राजेन्द्र पुत्र औमप्रकाश जाति महाजन निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा तहसील भादरा।
12. श्योकौरी पत्नी हेमराज जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
13. राजेन्द्र पुत्र प्रताप जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
14. घीसाराम पुत्र प्रताप जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
15. सुमना पत्नी प्रताप जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
16. सोनू } पि0 चानण जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 राजबाला
17. नरेश } पत्नी चानण जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा
18. राजबाला पत्नी चानण जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
19. कुरड़ा पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
20. गणेशी } पि0 जयलाल जाति जाट साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा
21. बलवान } जिला हनुमानगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.01.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भादरा प्र. सं. 65/2009 बनवानी देवीलालआदि बनाम सुरेश आदि

श्री महेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ता 3
श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं 11

निर्णय दिनांक –22.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 12 ता 21 ने एक दावा अन्तर्गत 88, 92 ए व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

188 आरटीएक्ट में पेश किया। वाद पत्र में रोही मौजा गांधी तहसील भादरा चक 65 में 46 बीघा व चक 5 एसडीआर की 27 बीघा रामसिंह की खुद पैदा कर्ता भूमि बताई। रामसिंह की मृत्यु की से पूर्व ही उसकी भूमि का बंटवारा रामलाल, रणजीत, हेमराज व जयलाल के मध्य होने का कथन किया। रामसिंह के जीवन काल में ही निकू व मांगेराम के साथ रहता था जिन्होंने मु. नं. 38 की किला नं. 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 व मु. नं. 51 के किला नं. 3 दोनों मुरब्बों की 9 बीघा भूमि का प्रतापसिह पुत्र श्योचन्द को दिनांक 28.05.1974 को बेचान कर दिया। इसका पता वादीगण के पिता को पता चला तो वादीगण के पिता ने मु. नं. 41 के किला नं. 3 की 1 बीघा वादी देवीलाल, मु. नं. 38 के किला नं. 13 व 14 की वादी सं0 10, 11 के पिता जयलाल तथा मु. नं. 38 की किला नं. 16 ता 18 की 3 बीघा वादी सं0 3 व 4 के दादा वादी संख्या 3 व 4 के दादा वादी सं0 5 के ससुर रणजीत व किला नं. 23 ता 25 की 3 बीधा वादी सं0 9 के पिता वादी नं. 3 व 7 के दादा व वादी सं0 8 के ससुर के नाम 05.07.1974 को कर दिया। उसके बाद निकूराम ने अपने हिस्से की भूमि में से 65 आरडी में 140 हिस्सा ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाट को बयैनामा करवा दिया, जिसका खाता विभाजन हो चुका है। मु. नं. 51 की किला नं. 4 व 5 गैर मुमकिन आबादी में तब्दील हो चुके हैं। निकूराम व मांगेराम ने अपने हिस्से की चक 6 एसडीआर की भूमि में से 21 हिस्सा रणजीत पुत्र हीराराम को बैय कर दी। रणजीत व रामलाल ने अपनी खरीदशुदा 80 हिस्सा भूमि करनैल, रामेश्वर, कृष्ण पि0 दौलाराम को बैय कर दी। वर्तमान में चक 5 एसआरडी की एवं 6 एसडीआर की कुल 9.424 है. भूमि है। मांगेराम अपनी भूमि का समस्त हिस्सा बैय कर चुका है। उसका कोई हिस्सा शेष नहीं है। वादी/अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टगण अपने हिस्सा पर काबिज हैं। वादपत्र में वाद पत्र में वर्णितानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश करते हुए वाद के तथ्यों को नकाराते हुए वाद वादी खारिज करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम की और वाद वादी साबित नहीं हेाने के कारण खारिज कर दिया जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की हैं।

2. अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध, मनमाना एवं स्वेच्छाचारिता पूर्ण है जो न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दस्तावेजात से दावा साबित था फिर भी उन पर कोई गौर नहीं किया है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 12 जो हेमराज के वारिस हैं की चक 6 सीडीआर के मु. नं. 11 के किला नं. 2, 3, 7 ता 10 प्रत्येक .253 है., चक 5 एसडीआर मु. नं. 57 के किला नं. 21, 22 की .506 है. मु. नं. 58 के किला नं. 1, 2, 9, 10 प्रत्येक .253 नहरी कुल दोनों चकों की 3.036 है. तरतीबी रेस्पोडेण्ट सं. 13 ता 15 जो रणजीत के वारिस हैं कि चक 6 एसडीआर में मु. नं. 6 के किला नं. 22 ता 25 की 1.012 है0, मु. नं. 11 किला नं. 4, 5 की .506 है. तथा चक 5 एसडीआर में मु. नं. 58 के किला नं. 11, 12, 13, 18, 19, 20 की 3.036 है. रेस्पोडेण्ट संख्या 16 ता 19 जो रामलाल के वारिस हैं के पास चक 6 एसडीआर में मु. नं. 7 के किला नं. 20, 21 की .506 है0, मु. नं. 6 के किला नं. 14 ता 17 की 1.012 है. चक 5 एसडीआर में मु. नं. 59 के किला नं. 5, 6, 15 की .759 है0 मु. नं. 66 के किला नं. 5–6–15 की .459 दोनों खातों की 3.036 है0 रेस्पोडेण्ट संख्या 20, 21 जो जयलाल के वारिस हैं के पास चक 6 एसडीआर में मु. नं. 38 के कि. नं. 7, 8, 13, 14 की 1.012 है0 मु. नं. 11 के किला नं. 19–20–23 की .759 है0, मु0 नं0 12 के किला नं. 16 की .253, चक 5 एसडीआर के मु. नं. 58 के कि. नं. 22–23 की .506 मु. नं. 67 के किला नं. 2–9 की .506 कुल 3.036 है. रेस्पोडेण्टगण 1 ता 3 जो निकूराम के वारिस हैं के पास चक 6 एसडीआर के मु. नं. 11 के कि. नं. 13–14–17 की .759 है. चक 5 सीडीआर के मु. नं. 59 के कि. नं. 16–25 की .506 है0, मु. नं. 58 के किला नं. 21 कुल 1.518 है0, रेस्पोडेण्ट सं0 4 महेन्द्र पुत्र माडूराम ने मांगेराम से खरीद की थी के पास चक 5 एसडीआर की मु. नं. 67 के किला नं. 1–10 की .506 है0, रेस्पो0 सं0 5 ता 7 वाद भूमि के खरीदशुदा काश्तकार हैं के पास चक 6 एसडीआर के मु. नं. 38 के किला नं. 16–17, 24, 25 की 1.012 है0 रेस्पोउेण्ट सं0 8 रणजीत भी खरीददार है के पास चक 6 एसडीआर की मु. नं. 11 के किला नं. 11, 12, 18 की .759 है. रेस्पोडेण्ट संख्या 9 व 10 भी खरीदार हैं क`पास मु. नं. 51 के किला नं. 3, 4 की .506 है. इसी अनुसार अलग अलग जमाबंदी में दर्ज किया जाने का अनुतोष मांगा था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से वाद वादी खारिज किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि फरीकैन के पूर्वज रामसिंह की खुद पैदाकर्दा व दादालाई कृषि भूमि गांधी बड़ी के चक सं0 6 एसडीआर में 46 बीघा व 5 एसडीआर में 27 बीघा भूमि है। रामसिंह ने अपने जीवन काल में कभी भी अपनी भूमि का बंटवारा अच्छी मंदी के हिसाब से नहीं किया था ना

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

ही उसने अपनी भूमि अपने पुत्रों को संभलाई थी। रामसिह अपने जीवनकाल में नीकू व मांगेराम के साथ नहीं रहता थां रामसिह अपने 6 पुत्रों व अपनी पुत्रियों के साथ पुराने दादालाई घर में संयुक्त रूप से निवास करता था। धीरे धीरे रामसिह के पुत्र अलग अलग होने लगे तो मांगेराम ही 1988 में एक मात्र रामसिंह के साथ रहता था वही रामसिंह की सेवा चाकरी करता था। नीकूराम व मांगेराम ने मु. नं. 38 के किला नं. 13, 14, 16 ता 18, 23 ता 25 मु. नं. 51 के किला नं. 3 की कुल 9 बीघा भूमि का बेचान रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 28.05.1974 को नहीं किया नाही अपने हिस्से का बेचान अपने पिता के द्वारा करवाया, नाही 1974 तक हिस्सा विभाजित था। रामसिह ने अपनी पुत्रियों की शादी में लगे खर्चे का उसके उपर चढा कर्ज उतारने के लिए सभी पुत्रों की सहमति से उक्त कृषि भूमि विक्रय की, ना ही निकू व मांगेराम अपना हिस्सो बेचने के लिए अंगूठा लगाया था जबकि वास्तव में वादी सं0 1, 10, 11 के पिता व 3 व 4 के दादा वादी नं. 5 के ससुर, वादी सं0 6, 7 के दादा, वादी नं0 8 के ससुर ने गलत रूप से वगैर प्रतिफल दिये रामसिंह को डरा धमकाकर व मांगेराम नीकू को अपने हक व हिस्सा से महरूम रखने के लिए दिनांक 05.07.74 को बैयनामा अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया जो कानूनी तौर पर अवैध अनुचित व प्रभाव शुन्य है क्योंकि बिना प्रतिफल के असम्य असर उत्पीड़न से करवाया गया है इसलिए कोई करार शुन्य है। रजिस्ट्री नल एण्ड वाईड है।

5. मांगेराम व नीकूराम ने प्रतापसिह के पक्ष में भूमि का बैयनामा नहीं करवाया है जिससे नीकूराम व मांगेराम के हक की राजस्व रिकार्ड में हक तलफी हो गई और दोनों अपने 9 बीघा भूमि में से हक व हिस्सा से महरूम हो गये, जिससे भी उनका 1/6–1/6 हिस्सा था।

6. रणजीत व रामलाल ने अपनी खरीदशुदा 80 हिस्सा भूमि जो अपने पिता से बिना प्रतिल दिये बैयनामा रजिस्टर्ड करवाने की वजह से राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज होने के कारण करनैल, राजेश्वर, कृष्ण पिसरान दौलाराम को बेचान कर दी जबकि वास्तव में उक्त भूमि सभी भाईयों के कब्जा काश्त में थी। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रणजीत व रामलाल ने नीकू व मांगेराम के हक तलफी करके 80 हिस्सा भूमि का समस्त रूपया अपने नाम से ले लिया। चक नं. 5 एसडीआर व 6 एसडीआर के क्रमशः 6.831 व 9.424 है. भूमि रामसिंह के सभी वारिसान के बराबर हक व हिस्सा में आती है तथा उसी अनुसार कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण को अपने दादालाई कृषि भूमि में अपने हिस्सा अनुसार खातेदारी प्राप्त हुई है मांगेराम ने अपनी सम्पूर्ण भूमि विक्रय नहीं की ना ही वादीगण व प्रतिवादीगण ने रहने के लिए वाद भूमि में मकानात रहे हैं। इस प्रकार प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सं0 1 ता 3 का उक्त भूमि में 12.3 बीघा भूमि हक व हिस्सा में आती है। वादी/अपीलाण्ट ने वाद में सभी कथन मनघड़ंत, बनावटी व फर्जी अंकित किये हैं। उक्त भूमि का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ है। संयुक्त खाता की है एवं संयुक्त रूप से हिस्सा के हिसाब से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आज से 50 वर्ष पूर्व किला के हिसाब से कोई बंटवारा नहीं हुआ है ना ही सम्वत 2015 से लगातार अपनी अपनी भूमि पर काश्ते हैं क्यों कि उक्त समय बंटवारा नहीं हुआ था करी 50 वर्ष पूर्व बंटवारा होने का सवाल ही नहीं उठता है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 326 एलबी, 2006 आरबीजे पेज 486 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 11 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
9. प्रकरण में सभी सदस्य संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। उभयपक्षों के मध्य प्रश्नगत भूमि का पूर्व में बंटवारा होने एवं उस बंटवारा के आधार काबिज काश्तकार होने का विवाद है। विचारण न्यायालय ने कुल 3 तनकियात कायम की हैं।
10. तनकी नं. 1 यह थी कि "आया वाद भूमि चक 6 एसडीआर व चक 5 एसडीआर की भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं। पूर्व बंटवारा के अनुसार वादीगण खाता व लगान अलग–अलग दर्ज करवाने के अधिकारी हैं" इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।
11. तनकी नं. 3 यह थी कि "आया वाद भूमि का पूर्व में कोई वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच में कोई बंटवारा नही हुआ है" इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था।
12. उक्त दोनों तनकियात परस्पर एकदूसरे पर आधारित हैं इसलिए इनका निर्णय विचारण न्यायालय ने एक साथ किया है, जिसमें उभयपक्ष अपने अपने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाये हैं सुभाष पुत्र नीकुराम के बयान करवाये गये हैं। अपीलाण्ट/वादी ने प्रश्नगत भूमि को रामसिंह की खुद पैदाकर्दा अंकित की है इसलिए रामसिंह ने अपने जीवन में अपनी स्वयं पैदाकर्दा भूमि को बैय करने का पूर्ण अधिकार था एवं बेयनामों से साबित पाया है कि रामसिंह ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी को ही प्रतापसिंह को विक्रय कर विक्रयपत्र तस्दीक करवाया था एवं वाद भूमि की बाबत रामसिहं के जीवनकाल में कोई खाता विभाजन नहीं करवाया गया था इस प्रकार वाद भूमि पूर्व की भांति वर्तमान में संयुक्त खाता में रही है एवं संयुक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

खाता की भूमि में रामसिंह द्वारा जो भूमि विक्रय की गई थी वह कुल भूमि में से विक्रय की गई थी इसलिए यह कहना न्यायोचित नहीं है कि रामसिहं के नीकू व मांगेराम के साथ रहने के कारण उक्त भूमि नीकू व मांगेराम के हिस्सा में से विक्रय की गई हो। विचारण न्यायालय ने इस तनकी को इस आधार पर वादीगण के विरूद्ध तय किया है। अपील में अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि का पूर्व में बंटवारा हो चुका था। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 1 का निर्णय अपीलाण्ट/वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है जो विधि सम्मत है।

13. तनकी नं. 2 यह थी कि "आया वाद भूमि में वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हैं कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में मदालखलत बेजा न करें"– इस को सिद्ध करने का भार वादी पर था।

14. तनकी नं. 1 व 3 में यह पाया गया है कि पूर्व में प्रश्गनत कृषि भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त दोनों तनकीयात तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है। तनकी नं. 2 तनकीयात तनकी नं. 1 व 3 पर आधारित हैं। अतः यह तनकी भी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

15. उक्त तीनों तनकिया वादीगण/अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णित होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

16. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2016 यथावत रखे जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास आशाराम आर0ए0एस0

अपील सं. 2016/00240 (305/2016) 223 आरटीएक्ट

देवीलाल उर्फ औमप्रकाश पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज0) —अपीलाण्ट

—: बनाम :—

1. सुरेश पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. नारायणी पुत्री निकूराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
3. सरबीत पत्नी स्व0 निकूराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
4. महेन्द्र पुत्र माडूराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
5. करनैल पुत्र दौलाराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
6. रामेश्वर पुत्र दौलाराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
7. कृष्ण पुत्र दौलाराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
8. रणजीत पुत्र हिराराम जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
9. यासीन पुत्र इल्मदीन जाति कुम्हार साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा।
10. राजेन्द्र पुत्र औमप्रकाश जाति महाजन निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा तहसील भादरा।
12. श्योकौरी पत्नी हेमराज जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
13. राजेन्द्र पुत्र. प्रताप जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
14. घीसाराम पुत्र प्रताप जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
15. सुमना पत्नी प्रताप जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
16. सोनू } पि0 चानण जाति जाट नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 राजबाला
17. नरेश } पत्नी चानण जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा
18. राजबाला पत्नी चानण जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
19. कुरड़ा पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन गांधी बड़ी तहसील भादरा।
20. गणेशी } पि0 जयलाल जाति जाट साकिन गांधीबड़ी तहसील भादरा
21. बलवान } जिला हनुमानगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.01.2016 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भादरा प्र. सं. 65/2009 बनवानी देवीलाल आदि बनाम सुरेश आदि

श्री महेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ता 3
श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं 11

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री महेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ता 3, श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं 11, की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2016 यथावत रखे जाते है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 22.10.2019 को जारी की गई।

(आशाराम डूडी) आर. ए. एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official